हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी के 'ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी के 'ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में फिजियोथेरेपिस्टो को काम करने के लिये रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यह पोर्टल पारदर्शिता लाने की तरफ एक और महत्त्वपूर्ण कदम है और फिजियोथेरेपिस्टों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करने से समय के साथ-साथ रुपए की बचत, डिजिटल ऑटोमेशन, एनहांस एफीसिएंसी, केंद्रीकृत डेटाबेस, त्रुटिमुक्त कार्यक्षमता, संचार में सुधार करने, पेपर वर्क कम करने और पारदर्शिता लाने में लाभ मिलेगा।
- विदित है कि अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट दूसरे राज्य की काउंसिल में पंजीकृत है और प्रदेश में काम करने के इच्छुक है, तो उसे हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये उस काउंसिल की एनओसी जमा करवानी होगी। यदि उस राज्य में काउंसिल नहीं है तो उसकी डिग्री की वेरिफीकेशन करवाई जाएगी।
- इस पोर्टल से नए रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन से लेकर जाँच सूची, राशि भुगतान, रसीद व पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने तक ऑनलाइन रहेगी।
- गौरतलब है कि राज्य स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी में अब तक 1936 रजिस्ट्रेशन मैन्युअल है।
- काउंसिल पर फिजियोथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन होने पर जब उसे प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा तो उसकी पूरी सूची काउंसिल की वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति देख सकता है।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/launch-of-online-registration-portal-of-haryana-state-council-for-physiotherapy